

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 - 230/2024

अनवान : -

1. सतवीर पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
:-वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र मामचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राजबाला पत्नी स्व0 दलीप पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. रमनदीप पुत्र स्व0 दलीप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. साहील पुत्र स्व0 दलीप नाबालिग जरिये वली कुदरती माता राजबाला पत्नी स्व0 दलीप पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. कृष्णादेवी पुत्री जगराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. गिरदावरी पुत्री जगराम जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. राजबाला पुत्री जगराम जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।



:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 25/22 के पत्थर न0 396/403 के मु0 न0 19 के किला न0 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 32 के किला न0 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु0 न0 20 के किला न0 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु0 न0 31 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 11.549 है जिसमें नहरी 11.194 है0, गै0 मु0 खाला 0.152 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.203 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जगराम अकेले के बजाए वादी सतवीर को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 जगराम को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 कमशः राजबाला, रमनदीप व साहील को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 230/2024

अनवान :-

1. सतवीर पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नेठराना त० भादरा जिला हनुमानगढ़।
:-वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र मामचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राजबाला पत्नी स्व० दलीप पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. रमनदीप पुत्र स्व० दलीप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. साहील पुत्र स्व० दलीप नाबालिग जरिये वली कुदरती माता राजबाला पत्नी स्व० दलीप पुत्र जगराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. कृष्णादेवी पुत्री जगराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. गिरदावरी पुत्री जगराम जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. राजबाला पुत्री जगराम जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री श्रवण सहारण वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 18/3/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 25/22 के पत्थर न० 396/403 के मु० न० 19 के किला न० 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु० न० 32 के किला न० 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु० न० 20 के किला न० 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु० न० 31 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 11.549 है जिसमें नहरी 11.194 है, गै० मु० खाला 0.152 है, गै० मु० रास्ता 0.203 है कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जगराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 व 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 5 की ओर से जवाब पेश किया गया व प्रतिवादी सं० 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा 10 बीएचडी, 9 बीएचडी व राजपुरा वादी की पैतृक सम्पति है।

Kulbir
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 5 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 25/22 के पत्थर न० 396/403 के मु० न० 19 के किला न० 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न० 32 के किला न० 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु० न० 20 के किला न० 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु० न० 31 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 11.549 है जिसमें नहरी 11.194 है०, गै० मु० खाला 0.152 है०, गै० मु० रास्ता 0.203 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जगराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 7 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 7 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 5 ता 7 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 5 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 25/22 के पत्थर न० 396/403 के मु० न० 19 के किला न० 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न० 32 के किला न० 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25, मु० न० 20 के किला न० 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु० न० 31 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 11.549 है जिसमें नहरी 11.194 है०, गै० मु० खाला 0.152 है०, गै० मु० रास्ता 0.203 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 जगराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 जगराम अकेले के बजाए वादी सतवीर को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 जगराम को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 ता 4 क्रमशः राजबाला, रमनदीप व साहील को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...18/3/25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिक्का)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादशा जिला हनुमानगढ़